प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 05.06.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आधुनिक उपकरणों की सहायता से नकल करने के मामले में दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 472/2026 धारा 4/13(2) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश 2024 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण नाम पता 01. मनीष कुमार पुत्र अशोक कुमार वर्मा निवासी पटहेरवा थाना के निकट स्थित नेहरू इण्टर कालेज के पीछे थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर 02. अनिकेत सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह निवासी मुस्तफाबाद रतनपुरा थाना हलधलपुर जनपद मऊ को सरैया बाइपास तिराहा पर बने पार्क से 02 अदद मोबाइल, एक अदद वाइस रिकार्डर का चार्जर, दो अदद ओ0टी0जी0, एक अदद वीआई कम्पनी की सिम, दो अदद पर्ची, एक अदद नोट बुक, एक अदद किताब समान्य हिन्दी, दो अदद बेडसीट इस्तेमाली, दो अदद चार्जर, ए0टी0एम0 कार्ड चार अदद, एक अदद इ-श्रम कार्ड, पैनकार्ड, 260 रूपये, एक अदद इयर फोन, ईयर बैण्ड, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, दो अदद झोला काला रंग के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के विभिन्न केंद्रों पर टीजीटी (TGT) परीक्षा आयोजित की जा रही थी। द्वितीय पाली (समय 14:30 से 16:30 बजे) के दौरान खलीलाबाद अंतर्गत हीरालाल रामनिवास महाविद्यालय सरैया बाईपास परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 03 में ड्यूटी पर तैनात कक्ष निरीक्षकों को एक अभ्यर्थी की गतिविधियों पर संदेह हुआ। अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान बेहद धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। कक्ष निरीक्षक द्वारा पास जाकर पूछताछ करने के लिए जब उसे खड़ा किया गया, तो उसके हाथ से एक मिनी वॉयस रिकॉर्डर फर्श पर गिर गया। पकड़े जाने के डर से अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से भाग खड़ा हुआ और महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गया। केन्द्राधीक्षक हीरालालरामनिवास स्नातकोत्तर श्री वृजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 472/2026 धारा 4/13(2) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश 2024 पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मनीष कुमार पुत्र अशोक कुमार वर्मा निवासी पटहेरवा थाना के निकट स्थित नेहरू इण्टर कालेज के पीछे थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।
02. अनिकेत सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह निवासी मुस्तफाबाद रतनपुरा थाना हलधलपुर जनपद मऊ।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभि0 मनीष कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैने इससे पहले कभी कोई प्रतियोगी परीक्षा नही दिया है और मैने बीटेक (इलेक्ट्रिकल) किया है। हम दोनों लोग आपस में दोस्त है। मैने अपने दोस्त अनिकेत सिंह उर्फ गोपी सिंह से बातचीत करके योजना बनायी और दिनांक 04.06.2026 को सुबह के समय खलीलाबाद आये तथा पहले से तय योजना के तहत अभ्यर्थी मनीष कुमार एक मिनी वायस रिकार्डर व एक अदद पेन जिसमे स्टील लगा है, को अपने पहने पैन्ट की जेब में लेकर परीक्षा केन्द्र के अन्दर गया जिसकी नियमानुसार तलाशी भी ली गयी थी। चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर द्वारा डिवाइस व पेन को डिटेक्ट किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा चालाकी से अपने पहने हुए पैन्ट की जेब से डिवाइस को न दिखाकर पेन को दिखाया गया और बताया गया कि साहब यह पेन है और इसके कैप पर स्टील लगा हुआ है जिसको मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नही है जिसके कारण उक्त डिवाइस परीक्षा केन्द्र के अन्दर अभ्यर्थी के साथ गयी। अभ्यर्थी मनीष कुमार ने पूछताछ में यह भी बताया कि परीक्षा आरम्भ होने के बाद मुझे इस डिवाइस में सभी 125 प्रश्नो को पढकर रिकार्ड करना था और फिर उस डिवाइस को पानी पीने आदि के बहाने परीक्षा केन्द्र के परिसर में बाउड्रीवाल की तरफ जाकर परीक्षा केन्द्र के बाउड्रीवाल के बाहर उक्त डिवाइस को फेंक देते और कक्ष में आ जाते तब बाहर खडा मेरा साथी सभी प्रश्नो को सुनकर उसका उत्तर पर्ची पर लिखकर तैयार रखता और कुछ देर पश्चात मैं टायलेट आदि के बहाने बाउड्रीवाल की तरफ जाकर बाहर खडे दोस्त से सभी प्रश्नो का उत्तर छोटे छोटे पर्ची में प्राप्त कर लेता और फिर परीक्षा कक्ष में वापस आकर सभी प्रश्नो का सही उत्तर लिख देता जिससे मैं यह परीक्षा आसानी से पास हो जाता।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 अदद मोबाइल, एक अदद वाइस रिकार्डर का चार्जर, दो अदद ओ0टी0जी0, एक अदद वीआई कम्पनी की सिम, दो अदद पर्ची, एक अदद नोट बुक, एक अदद किताब समान्य हिन्दी, दो अदद बेडसीट इस्तेमाली, दो अदद चार्जर, ए0टी0एम0 कार्ड चार अदद, एक अदद इ-श्रम कार्ड, पैनकार्ड, 260 रूपये, एक अदद इयर फोन, ईयर बैण्ड, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, दो अदद झोला काला रंग।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का० भूपेन्द्र प्रताप सिंह का0 विक्रम प्रशान्त सिंह, का० जनार्दन प्रसाद, रि०का0 आदर्श कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 32 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 307 वाहनों से 3,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 307 वाहनों से 3,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।